

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

24-01-2019

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 16/2018-2019

राम एकबाल सिंह-वादी

वनाम

राम जन्म सिंह एवं अन्य-प्रतिवादी

वादी के विद्वान अधिवक्ता

1. मो० अफसर हामीद
2. श्री रमेश प्रसाद सिंह

आदेश

वादी के अधिवक्ता ने कहा कि विवादित भूमि निम्नवत है:-

सिड्यूल-01

खाता	प्लॉट	एराजी	चौहद्दी
124	919	21 ¹ / ₂ नक्शानुसार	उ०-देवनन्दन पंडित द०-परमानन्द सिंह पू०-विपक्षीगण प०-एन० एच०-139 (98)

ग्राम-पिपरा बंगला, थाना+अंचल+जिला-अरवल

वादी के अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त जमीन की मापी अंचल अमीन के द्वारा किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण यथा रामजन्म सिंह (ओ० पी०-01) पिता-स्व० राम प्रसाद सिंह, राजेन्द्र सिंह (ओ० पी०-02), विधा सिंह (ओ० पी०-03) बच्चा सिंह (ओ० पी०-04) सभी के पिता राम जन्म सिंह, बालदेव सिंह (ओ० पी०-05), पिता-स्व० गणेश सिंह के द्वारा उनके जमीन को बेदखली किया गया पाया है। इन्होंने अनुरोध किया है कि उपरोक्त जमीन की नापी पुनः कराया जाय। तदोपरान्त उनके अंश भूमि जो कि प्रतिवादीगण ने कब्जे में रखा है, उस पर दखल दिलाया जाय।

प्रतिवादीगण को नोटिस भेजा गया तदोपरान्त निबंधित डाक से भी सूचना दी गई परन्तु वे लोग उपस्थित नहीं हुये। इसलिये प्रतिवादीगण के विचार से न्यायालय अवगत नहीं हो सका।

अतः वादी के अनुरोध को स्वीकार किया गया तदोपरान्त सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण ने निदेशानुसार दिनांक 04.01.2019 को मापी प्रतिवेदन, कार्यालय को सौंपा है। मापी प्रतिवेदन में विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण ने उल्लेखित किया है कि विपक्षी रामजन्म सिंह के भूमि के पश्चिमी भाग आर व वादी के भूमि के पूर्वी आर को लेकर विवाद है। उन्होंने उल्लेखित किया है कि-

- (1) आवेदक के विवादित सर्वे प्लॉट संख्या-919 व विपक्षी की भूमि की सर्वे प्लॉट संख्या-918 व 917 का मिलान पूराना सर्वे नक्शानुसार जो कि आवेदक एवं विपक्षी बालदेव सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शा से किया व सही पाया।
- (2) यह कि निश्चित बिन्दु से पश्चिम अवस्थित आवेदक के सर्वे प्लॉट संख्या-919 के उत्तर-पूरब कोण तथा विपक्षी के सर्वे प्लॉट संख्या-918 के उत्तर-पश्चिम कोण तक की

की पूराना सर्वे नक्शानुसार 305 कड़ी होता है जबकि मौका पर बने आर-311 कड़ी पर अवस्थित पाया गया अर्थात् विपक्षी की भूमि का आर इस जगह 06 कड़ी आवेदक की भूमि से बढ़कर बना पाया गया।

(3) आवेदक के सर्वे प्लॉट संख्या-919 का क्षेत्रफल सर्वे नक्शानुसार निम्न रूपेण पाया गया।

उत्तर भूजा-95 कड़ी + दक्षिण भूजा-130 कड़ी का योग 225 कड़ी, औसत = $112\frac{1}{2}$ कड़ी। (पूरब से पश्चिम) X पूरब भूजा-180 कड़ी+बीच में 200 कड़ी+पश्चिम भूजा- 200 कड़ी का योग-575 कड़ी का औसत $191\frac{1}{2}$ कड़ी (उत्तर से दक्षिण) के गुणनफल बराबर = 21543.75 वर्गकड़ी अर्थात् $21\frac{1}{2}$ डी० होता है।

आवेदक के प्लॉट संख्या-919 के उत्तर में श्याम पंडित के बनाये मकान के दीवार तक नक्शा एवं सरे जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। श्याम नन्दन पंडित का बना मकान प्लॉट नं०-867 अपने जगह सही पाया गया।

(4) आवेदक की भूमि का अंश रकवा जो त्रिभुजाकर क्षेत्र के रूप में मिला पाया, उसका क्षेत्रफल गणितीय विधि अनुसार $1/2$ X आधार x उँचाई सूत्र के अनुसार-

$1/2$ X 06 कड़ी X 180 कड़ी = 540 वर्ग कड़ी होता है जो कि चिन्हित किया गया है।

(5) मापी प्रतिवेदन में सर्वे जानकार अधिवक्ता ने उल्लेखित किया है कि मापी के वक्त उभय पक्ष एवं आम ग्रामीण उपस्थित थे जिन्होंने उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किया है।

उपस्थिति पत्रक पर वादी के अधिवक्ता एवं निजी अमीन का भी हस्ताक्षर है।

(6) विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण ने उल्लेखित किया है कि विपक्षी राम जन्म सिंह के पुत्र बच्चा सिंह स्थल पर मापी के दौरान उपस्थित थे। इसी तरह विपक्षी बालदेव सिंह मापी के समय शुरू से अंत तक उपस्थित थे परन्तु दोनों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

अतः वादी के अधिवक्ता ने मापी प्रतिवेदन को सम्पुष्ट करने की माँग किया जबकि द्वितीय पक्ष श्री रामजन्म सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर मापी प्रतिवेदन का विरोध किया।


यहाँ उल्लेखित करना आवश्यक है कि विवादित भूमि की मापी अंचल अमीन अरवल के द्वारा भी किया गया था। उन्होंने मापी प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2018 को अंचलाधिकारी, अरवल को सौपा था तथा उल्लेखित किया है कि वादी के जमीन को वादपत्र के अनुरूप चिन्हित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी के द्वारा मापी प्रतिवेदन का विरोध करना गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वादी के बेदखल भूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। चूँकि, दोनों ही मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा वादी को उनके भूमि से बेदखल किया गया है। अतः मापी प्रतिवेदन को सम्पुष्ट किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष मापी प्रतिवेदन का अनुपालन करें।

लेखापित एवं संशोधित



प्राधिकार, भूमि सुधार उप. समाहर्ता,
अरवल।



प्राधिकार, भूमि सुधार उप. समाहर्ता,
अरवल।